

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045

Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045, CIN : L32309KA1954GOI000787

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 16 सितंबर, 2019 को अपराह्न 03:30 बजे दि कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमारा कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु- 560 001 में निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार-

- निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु
(क) 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन।
(ख) 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 1.70 (170%) प्रति ईक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान की संपुष्टि करना तथा ₹ 1 प्रत्येक के प्रति ईक्विटी शेयर ₹ 1.70 (170%) के अंतिम लाभांश घोषणा करना।
- श्री नटराज कृष्णप्पा (डीआईएन-07506012) जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष कारोबार -

- श्री विनय कुमार कत्याल (डीआईएन-08281078) की निदेशक के रूप में नियुक्ति
निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -
“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनःअधिनियमन सहित) के अनुक्रम में, श्री विनय कुमार कत्याल (डीआईएन-08281078), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/1/2018-(बीईएल) दिनांक 27 नवंबर 2018 द्वारा भारत

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 65th Annual General Meeting of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Monday, 16 September 2019, at 03:30 p.m. at the Kalinga Hall, Hotel Lalit Ashok, Kumara Krupa High Grounds, Bengaluru - 560 001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To consider and adopt:
 - the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2019 and the reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
 - the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2019 and the reports of Auditors thereon.
- To confirm the payment of interim dividend ₹ 1.70 (170%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 1.70 (170%) per equity share of ₹ 1 each for the financial year 2018-19.
- To appoint a Director in place of **Mr Nataraj Krishnappa** (DIN: 07506012), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

- Appointment of **Mr Vinay Kumar Katyal** (DIN: 08281078) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Vinay Kumar Katyal (DIN: 08281078), who was appointed as Director (Bangalore Complex) by the Govt. of India vide Ministry

सरकार द्वारा निदेशक (बेंगलूरू कॉम्प्लेक्स) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुक्रम में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने हेतु दिनांक 27 नवंबर 2018 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 27 नवंबर 2018 से प्रभावी करते हुए निदेशक मंडल द्वारा निदेशक (बेंगलूरू कॉम्प्लेक्स) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें उन्होंने श्री विनय कुमार कत्याल को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करना के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

5. श्री शिवकुमारन के एम (डीआईएन-08473589) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के अनुक्रम में, श्री शिवकुमारन के एम (डीआईएन-08473589), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2018-डी(बीईएल) दिनांक 11 जून 2019 द्वारा भारत सरकार द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुक्रम में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु दिनांक 11 जून 2019 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (मानव संसाधन) पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें उन्होंने श्री शिवकुमारन के एम को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करना के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

6. श्री सुनील कुमार कोहली (डीआईएन-05321549) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में, श्री सुनील

of Defence letter no. DDP-E0032/1/2018-(BEL) dated 27 November 2018 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Bangalore Complex) by the Board of Directors w.e.f 27 November 2018 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160(1) of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr Vinay Kumar Katyal as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India”.

5. Appointment of Mr Shivakumaran K M (DIN: 08473589) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Shivakumaran K M (DIN: 08473589), who was appointed as Director (Human Resources) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/3/2018-D(BEL) dated 11 June 2019 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Human Resources) by the Board of Directors w.e.f 11 June 2019 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr Shivakumaran K M as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India”.

6. Appointment of Mr Sunil Kumar Kohli (DIN: 05321549) as Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force),

कुमार कोहली (डीआईएन - 05321549), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19/3/2015-डी(बीईएल) दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुक्रम में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु दिनांक 18 जुलाई, 2019 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें सदस्य ने श्री सुनील कुमार कोहली" को कंपनी के निदेशक के अभ्यर्थी के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

7. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःप्रवर्तन जो वर्तमान में लागू है सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को ₹ 350,000 (रुपए तीन लाख पचास हजार मात्र) के पारिश्रमिक तथा लागू कर का भुगतान एवं फुटकर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है”।

8. संस्था के बहिर्नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो तो, तथा उनके तहत बनाए गए नियमों (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुनःप्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के तारतम्य में और प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों (एम.ओ.ए.) के खंड III में मुख्य उद्देश्य सं. 01 को कंपनी के एम.ओ.ए. के खंड सं. III के तहत क्र.सं. (जे) से क्र.सं. (एम) तक के निम्नलिखित अनुच्छेदों को शामिल करते हुए परिवर्तित किया जाए और एतद्वारा परिवर्तित किया जाता है -

j. भारत या अन्यत्र, विनिर्माण, असेंबलिंग, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात का कारोबार करना तथा प्रोसेसर, फेब्रिकेटर, मर्चेन्ट, कन्वर्टर, डीलर, एजेंट, स्टॉकिस्ट, वितरक और पूर्तिकर्ताओं जो अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं प्रणालियाँ, संबंधित सेवाएँ, विस्फोटक

Mr Sunil Kumar Kohli (DIN: 05321549), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19/3/2015-D(BEL) dated 18 July 2019 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 18 July 2019 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr Sunil Kumar Kohli as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India”.

7. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules made there under, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000 (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) plus applicable taxes and reimbursement of out of pocket expenses to M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2020.”

8. Alteration of the Object Clause of the Memorandum of Association of the Company.

To consider, and if thought fit, to pass with or without modification (s) the following resolution as **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 13 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, and Rules made there under (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to approval of Administrative Ministry, main object no. 01 in Clause III of the Memorandum of Association (MoA) of the Company be and is hereby altered by adding the following paragraphs as Sl. No. (j) to Sl. No. (m) under the Clause No. III- 1 of MoA of the Company:

j. To carry on the business, in India or elsewhere, of manufacturing, assembling, buying, selling, importing, exporting, and to act as processors, fabricators, merchants, convertors, dealers, agents,

पदार्थों के साथ या उनके बिना शस्त्र प्रणालियाँ, गोला-बारूद तथा संबंधित उत्पाद, लेजर आधारित उत्पाद एवं प्रणालियाँ, मानवयुक्त तथा मानव-रहित प्लेटफार्म और संबंधित प्रणालियाँ तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय संसूचना एवं संरक्षण प्रणालियों में लेनदेन करते हैं, के रूप में कार्य करना।

- k. भारत या अन्यत्र, विनिर्माण, असेंबलिंग, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात का कारोबार करना तथा प्रोसेसर, फेब्रिकेटर, मर्चेट, कन्वर्टर, डीलर, एजेंट, स्टॉकिस्ट, वितरक और पूर्तिकर्ताओं जो अन्यथा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शक्ति एवं ऊर्जा उत्पादों एवं प्रणालियों तथा लांचिंग प्रणालियों, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स आधारित प्रणालियों एवं उत्पादों, सेन्सरों एवं संबंधित उत्पादों में लेनदेन करते हैं, के रूप में कार्य करना।
- l. डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, निर्यात, आयात, क्रय, विक्रय, फेब्रिकेट, आविष्कार, अनुसंधान, विकास, विपणन, प्रक्रम, भंडारण, संस्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण, बदलाव, विनिमय, वितरण, भाड़ा, उपयोग, निपटान, फ्रेंचाइस या नियंत्रण एवं ऑटोमेशन इंजीनियरी मशीनरी, साफ्टवेयर, सामान और औजारों की फ्रेंचाइसी द्वारा कारोबार करना और साफ्टवेयर उत्पादों, संबंधित सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादों, आई.टी. सक्षम सेवाओं, डेटा संसाधन, डेटा वेयरहाउसिंग और डेटाबेस प्रबंधन एवं प्रणालियों एवं सेवाओं में वितरक, पूर्तिकर्ता, स्टॉकिस्ट, एजेंट, मर्चेट, डेवलपर, सलाहकार, जॉब कामगार, सहयोगकर्ता और डीलर के रूप में कार्य करना।
- m. सिविल अवसंरचना सहित टर्नकी समाधान आधारित परियोजनाओं की परिकल्पना, योजना, सर्वेक्षण, डिजाइनिंग, मूल्यांकन, निर्माण, रचना, संस्थापना, स्थापना, उपक्रम, प्रचालन, प्रबंधन का स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन, पट्टे पर लेने का कारोबार करना।

आगे संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले तथा बातें जिसमें यथोचित प्राधिकारियों के साथ आवश्यक फार्म / दस्तावेज भरना शामिल है, करने के लिए तथा ऐसे सभी विलेख, दस्तावेज, प्रपत्र तथा लिखित सामग्री जिन्हें उनके एकमात्र तथा पूर्ण विवेक से आवश्यक या अत्यावश्यक समझा जाए, निष्पादित करने के लिए तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निराकरण करने के लिए तथा यहाँ प्रदत्त अपनी सभी या किसी एक शक्ति को अपने निदेशकों, कंपनी के कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,

बेंगलूरु
7 अगस्त 2019

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

stockists, distributors and suppliers otherwise dealing with Electronic Products and Systems, allied services, Weapon Systems with or without Explosives, Ammunitions and related products, Laser based Products and Systems, Manned and unmanned Platforms and related Systems and Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Detection and Protection Systems.

- k. To carry on the business in India or elsewhere, of and manufacturing, assembling, buying, selling, importing, exporting, and to act as processors, fabricators, merchants, convertors, dealers, agents, stockists, distributors and suppliers otherwise dealing with in Power and Energy Products & Systems through various sources, Space Electronics including Satellites and Launching Systems Electro Optics based Systems and products, Sensors and related products.
- l. To carry on the business of design, manufacture, produce, export, import, buy, sell, fabricate, discover, research, develop, marketing, process, store, install, repair, maintain, recondition, exchange, distribute, hire, use, disposal, fabricate, franchise or through franchise of control and automation engineering machineries, software, things and tools and to act as distributors, suppliers, stockiest, agents, merchants, developers, consultants, job workers, collaborators and dealers in software products, allied services and Information Technology Products, IT enabled services, data processing, data warehousing and database management and Systems & Services.
- m. To carry on the business of conceiving, planning, surveying, designing, studying, evaluating, building, constructing, installing, erecting, undertaking, operating, owning, managing, controlling, and administering, leasing of Turnkey Solutions based projects including Civil Infrastructure.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including filing of necessary forms/ documents with the appropriate authorities and to execute all such deeds, documents, instruments and writings as it may in its sole and absolute discretion deem necessary or expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard thereto and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company.

By order of the Board,
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
7 August 2019

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

1. वार्षिक सामान्य बैठक में सम्मिलित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, एक परोक्षी अधिकतम 50 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तथा उनके पास कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक पूंजी नहीं होनी चाहिए। एक सदस्य जिसे मताधिकार प्राप्त है और जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10% से अधिक पूंजी धारित करते हैं, परोक्षी के रूप में एकमात्र व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक का परोक्षी न हो।

परोक्षी को नियुक्त करने का विलेख विधिवत भरकर बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, (14 सितंबर 2019, अपराह्न 03:30 बजे, आई.एस.टी. से पहले) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वार्षिक सामान्य बैठक का परोक्षी प्रारूप संलग्न है।

2. बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें या ई-मतदान पोर्टल में अपलोड करें।
3. यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 (1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटन की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 के तहत यथा अपेक्षित, वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय भी इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।
4. इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 22 अगस्त 2019 से 24 अगस्त 2019 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा।
5. निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 0.30, ₹ 0.70 और ₹ 0.70 प्रति इक्विटी शेयर के तीन अंतरिम लाभांशों की घोषणा की है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अदा किया गया। ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने लाभांश वारंटों / डीडी का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों / डीडी को दोबारा विधिमान्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मई, 2019 को हुई अपनी बैठक में ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 1.70 (170%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष

NOTE

1. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote in the meeting instead of himself/herself, and the proxy need not be a member of the Company.

As per the provisions of the Companies Act, 2013, a person can act as a proxy on behalf of a maximum of 50 members and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy, provided that the person does not act as proxy for any other person or shareholder.

The instrument appointing the proxy, duly completed, must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the commencement of the meeting (on or before 14 September 2019, 3:30 p.m. IST). A proxy form for the AGM is enclosed.

2. Corporate members intending to send their authorized representatives to attend the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution to the Company or upload it on the e-voting portal, authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the meeting.
3. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Brief resume of the Directors seeking appointment or re-appointment at Annual General Meeting (AGM), as required under Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also annexed and forms part of the Notice of this meeting.
4. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 22 August 2019 to 24 August 2019 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the AGM.
5. The Board of Directors has declared three interim dividends of ₹ 0.30, ₹ 0.70 & ₹ 0.70 per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid during the financial year 2018-19. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/DDs may approach Registrars and Transfer Agent of the Company for revalidating the expired warrants/DDs or for obtaining DDs in lieu of expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 29 May 2019, has recommended a final dividend of ₹ 1.70 (170%) per equity share of

2018-19 का अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 21 अगस्त 2019 को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियलीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोजिटारियों द्वारा दिए गए विवरण अनुसार 21 अगस्त, 2019 को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयर अंतरण, पारेषण, उप-विभाजन, शेयरों का समेकन, कालातीत लाभांश वारंट के विधिमान्यकरण या शेयरों से संबंधित किसी भी अन्य मामले के अपने सभी पत्र/पत्राचार कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट, मे. इन्टीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, नं. 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003, टेली. 080-23460815/18 से करें। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पते में परिवर्तन की सूचना शेयरों को डिमटीरियर रूप में धारित करने पर अपने डिपोजिटरी सहभागी (डी.पी.) को और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को या कंपनी के आर.टी.ए. को अपना फोलियो नंबर बताते हुए तुरंत संपर्क करें।
7. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा 136 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 18 के परिप्रेक्ष्य में, वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 सहित अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ई-मेल का पता दिया है जब तक कि किसी सदस्य ने इसकी वास्तविक प्रति का अनुरोध किया हो। ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल एड्रेस पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए वास्तविक प्रतियाँ अनुमत माध्यम से भेजी जा रही हैं। बहरहाल, यदि कोई सदस्य वार्षिक प्रतिवेदन की कागजी प्रति चाहते हैं, तो वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को या कंपनी के आरटीए को ई-मेल या डाक द्वारा लिखित अनुरोध भेज सकते हैं। कंपनी इन दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर भी उपलब्ध कराएगा।
8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखे गए निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता की पंजी तथा इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरणी इस सूचना की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रातः 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराई जाएगी।
9. शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उनके संबंधित डिपोजिटरी खातों में दर्ज बैंक विवरण का इस्तेमाल किया जाएगा। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) की

₹ 1/- each fully paid. The Final Dividend for the year 2018-19, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Company's Register of Members as on 21 August 2019 in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on 21 August 2019 as per the details furnished by the depositories.

6. Members are requested to send all query/correspondence related to shares transfers, transmission, Sub-division, consolidation of shares, revalidation of expired dividend warrants or any other matter relating to share to the Company's RTA, M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, No.30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003, Tel. 080-23460815/18. Members are requested to notify immediately any change in their address to their Depository Participants (DPs) in respect of shares held in dematerialized form, and to the Company at its Registered Office or Company's RTA in respect of the shares held in physical form, if any, quoting their Folio Number.
7. In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act 2013 and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), this Notice of the AGM along with the Annual Report 2018-19 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same. For Members who have not registered their e-mail addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. However, if any member wants a physical copy of the Annual Report he/she may send a written request through e-mail or post, to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or to Company's RTA. The Company would also make available these documents on the Company's website viz. www.bel-india.in.
8. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and all the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company between 10.00 am and 4.00 pm on all working days from the date of this Notice upto the date of the AGM.
9. Members holding shares in electronic mode may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. Members are advised to submit

अनिवार्यताओं को पूरा करें ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से विप्रेषण कर सके। जो सदस्य शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करते हैं वे अपने डीपी से सीधे ही ईसीएस आज्ञापक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भेज सकते हैं। जिन्होंने संपूर्ण विवरणों के साथ ईसीएस आज्ञापन फार्म कंपनी / आरटीए / डीपी को पहले ही दे चुके हैं, उन्हें इसे दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है।

their Electronic Clearing System (ECS) mandates, to enable the Company to make remittance by means of ECS. Those holding shares in physical form may obtain and send ECS mandate form to RTA of the Company. Those holding shares in Electronic Form may obtain and send ECS mandate form directly to their DPs.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकारी (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन-वापसी) नियम, 2016 जिसे उसके संबंधित परिपत्रों एवं संशोधनों ('आई.ई.पी.एफ. नियम') के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, नियत तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या दावा न की गई लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) को अंतरित करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने आई.ई.पी.एफ. को अंतरिम लाभांश 2010-11, अंतिम लाभांश 2010-11 और अंतरिम लाभांश 2011-12 से संबंधित अदत्त और दावा न की गई राशि क्रमशः ₹ 58,722.00, ₹ 1,46,312.40 और ₹ 79,230.00 अंतरित कर दिया है।

10. Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the due date is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), constituted by the Central Government. The Company had, accordingly, transferred ₹ 58,722.00, ₹ 1,46,312.40 and ₹ 79,230.00 being the unpaid and unclaimed dividend amount pertaining to Interim Dividend 2010-11, Final Dividend 2010-11 and Interim Dividend 2011-12 respectively, to the IEPF.

वर्ष 2011-12 का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2012-13 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2019-20 में आई.ई.पी.एफ. को अंतरित किया जाना है। कंपनी ने यथा 25 सितंबर, 2018 (पिछली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख) को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.bel-india.in) पर और कांफ़रेंट कार्य मंत्रालय (<http://www.iepf.gov.in>) के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव के साथ पत्राचार करें।

The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2011-12 and interim dividend for the year 2012-13 are due for transfer to the IEPF in 2019-20. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 25 September 2018 (date of last Annual General Meeting) on the website of the Company (www.bel-india.in) and also on the website of the Ministry of Corporate Affairs (<http://www.iepf.gov.in>). Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the Registrar and Share Transfer Agents or the Company Secretary, at the Company's Registered Office.

अधिनियम की धारा 124 के तहत यथा आवश्यक, ऐसे इक्विटी शेयर जिनके संबंध में सदस्यों द्वारा निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, को वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है। अंतरित किए गए शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

As required under Section 124 of the Act, equity shares, in respect of which dividend has not been claimed by the members for seven consecutive years or more, have been transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) during the financial year. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company.

11. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित रूप में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजें कि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध कराई जा सके।
12. सदस्यों/ परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर लाएँ। बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें।

11. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the Meeting so that the required information can be made available at the Meeting.
12. Members / Proxies / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the Meeting. Members/Proxies/Authorised Representatives attending the Meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.

13. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 दिनांक 8 जून, 2018 के तारतम्य में, कंपनी द्वारा वास्तविक रूप में धारित प्रतिभूतियों के अंतरण करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी प्रतिभूतियाँ डिपोजिटरी द्वारा प्रतिभूतियों के पारोषण या रूपांतरण के मामले के सिवाय, डिमटीरियलीकृत रूप में धारित की जाती हैं। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने वास्तविक धारण का डिमटीरिलीकरण करवा लें।
14. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाज़ार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी जिनके पास उनके डिमैट खाते हैं, को अपना पैन संख्या दें। वास्तविक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अपने पैन विवरण कंपनी के आरटीए को दे सकते हैं।
15. वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी (शेयर पूंजी एवं ऋणपत्र) नियम, 2014 में यथा वर्णित फार्म-एसएच 13 में किसी भी व्यक्ति को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए कंपनी में उनके शेयर फार्म में वर्णित घटना के घटित होने पर निहित होते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले व्यक्ति कंपनी के आरटीए को दो प्रतियों में फार्म-एसएच 13 भेज सकते हैं। शेयरों को डिमटीरियलीकृत रूप में धारित करने पर, यह नामांकन संबंधित डीपी को देना होना।
16. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जिनका नाम, क्रम में ऊपर होगा, मतदान करने के हकदार होंगे।
17. बैठक में शामिल होने में सदस्यों की सुविधा हेतु बैठक के स्थल का मार्ग संलग्न किया गया है।
18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे संबंधित नियमों तथा सेबी (सूचीकरण देयताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी ने अपने नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-मतदान) सेवा सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। वार्षिक बैठक में सामान्य नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और इस बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्हें सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे इस मतपत्र द्वारा बैठक में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे सदस्य जिन्होंने इस बैठक से पहले सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे इस बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। ई-मतदान के अनुदेश इस बैठक की नोटिस के संलग्नक में दिए गए हैं।
13. Members are informed that pursuant to SEBI (LODR) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 dated 8 June 2018, request for effecting transfer of securities in physical form shall not be processed by the Company unless the securities are held in dematerialized form with a Depository, except in case of transmission or transposition of securities. Hence the Members are requested to dematerialize their physical holding.
14. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN details to the Company's RTA.
15. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form-SH 13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. Persons holding shares in physical form may send Form-SH 13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.
16. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.
17. Route Map to the venue of the meeting is annexed for the convenience of the members to attend the meeting.
18. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with corresponding Rules, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the electronic voting (e-voting) service facilitated by the National Securities Depository Limited (NSDL). The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The instructions for e-voting are annexed to the Notice of this meeting.

सुदूर ई-मतदान के लिए अनुदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 द्वारा स्थानापित किया गया है, और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी सोमवार, 16 सितंबर, 2019 को, अपराह्न 03.30 बजे आयोजित होने वाली 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक आहूत करने की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपने सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है। कंपनी ने सुदूर ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ प्राप्त की हैं।

सुदूर ई-मतदान सुविधा लिंक www.evoting.nsdl.com में उपलब्ध है।

कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित अनुदेशों को पढ़ें।

ये ब्यौरे तथा अनुदेश 16 सितंबर, 2019 को होने वाली 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का अभिन्न भाग हैं।

सुदूर ई-मतदान की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी -

सुदूर ई-मतदान का प्रारंभ	सुदूर ई-मतदान की समाप्ति
11 सितंबर 2019 को सुबह 9:00 बजे आई.एस.टी.	15 सितंबर 2019 को शाम 5:00 बजे आई.एस.टी.

सुदूर ई-मतदान के अनुदेश इस प्रकार हैं -

एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करना

एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की तरीके में "दो चरण" शामिल है, जो निम्नलिखित हैं-

चरण 1- <https://www.evoting.nsdl.com/> में एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली को लॉग-इन करें।

चरण 2- एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका वोट डाल दे।

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं -

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन करना

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें-<https://www.evoting.nsdl.com/>।
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने पर, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और एक वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

Instructions for remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by Companies (Management and Administration) Amendment, Rules 2015, and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 65th Annual General Meeting to be held on the Monday, 16 September 2019 at 03:30 p.m. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the remote e-voting facility.

The remote e-voting facility is available at the link www.evoting.nsdl.com

Please read the instructions printed below before exercising your vote.

These details and instructions form an integral part of the Notice for the 65th Annual General Meeting to be held on 16 September 2019.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	End of remote e-voting
11 September 2019 at 9:00 A.M. IST	15 September 2019 at 5:00 P.M. IST

The instructions for remote e-voting are as under:

Voting electronically using NSDL e-Voting system

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

Log-into NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

वैकल्पिक रूप से, यदि आपने एनएसडीएल ई-सेवा यानी आईडीईएस के लिए रजिस्टर किया है, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉग-इन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद लॉग-इन होने के बाद ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें पर आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी विवरण नीचे दिए गए हैं-

शेयर धारित करने की विधि यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या वास्तविक रूप से	आपका यूजर आई.डी. है -
क) उन सदस्यों के लिए, जो एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा।
ख) उन सदस्यों के लिए, जो सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं।	16 डिजिट का बनेफिशरी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका बनेफिशरी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी 12***** होगा।
ग) वास्तविक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001 *** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001 *** होगा।

5. आपके पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है-

- क) यदि आप सुदूर ई-मतदान करने के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉग-इन करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'इनिशियल पासवर्ड' रिट्रीव करना होगा, जो आपको दिया गया था। अपना 'इनिशियल पासवर्ड' रिट्रीव करने के बाद, आपको 'इनिशियल पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने की सूचना देगा।
- ग) अपना 'इनिशियल पासवर्ड' रिट्रीव करना
- (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी में दर्ज है, तो आपके ईमेल आईडी पर आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपको दिया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का इस्तेमाल करें। ई-मेल खोलें और उसके बाद अटैचमेंट खोलें, यानी एक .pdf फाइल। .pdf फाइल खोलें। pdf फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 डिजिट या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और आपका 'इनिशियल पासवर्ड' होता है।

Alternatively, if you are registered for NSDL e-services i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Your password details are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) Retrieval of your 'initial password'
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.